पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771—2262802 (अकादमिक) 0771—2262540 (कुलसचिव), फैक्स—0771—2262818, 2262607

क्रमांक /अका./सम्बद्धता/2021 रायपुर, दिनांक : 22 /11/2021

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के अनुमोदनानुसार, **कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला—गरियाबंद (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020—21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:—

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	डी.सी.ए. (सीटवृद्धि)	30 सीट (सीटवृद्धि) (पूर्व संचालित 30 सीट)	2020—21
2	पी.जी.डी.सी.ए.(सीटवृद्धि)	30 सीट (सीटवृद्धि) (पूर्व संचालित 30 सीट)	

शर्तें :—

01 महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17—69/2020/38—2 दिनांक 10.07.2021 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।

03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।

04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।

05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेगें ।

06. समय—समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें ।

09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

10. परिनियम—27 एवं 28 का पालन करें ।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 415/अका./सम्बद्धता/2021 रायपुर,दिनांक 22/11/2021

प्रतिलिपि :—

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक—सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।

04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,

05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,

06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,

07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग ब

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापना के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश कमांक : क्र. 68/अका./2021, रायपुर दिनांक 22/09/2021

निरीक्षण की तिथी : 30-09-2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
डी.सी.ए.	कम्प्यूटर विषय	30	2020-21	55
पी.जी.डी.सी.ए.	कम्प्यूटर विषय	30	2020-21	

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु कमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	वैध है एवं तिथी निर्धारित है। (पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न है)
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	प्राप्त एवं संलग्न जानकारी के अनुसार कुल 03.07 हेक्टर भूमि है।
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	201014.00/- (संलग्न अनुसार)
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	14-04-2023 (जानकारी के अनुसार)
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	हाँ
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	है (संतोषजनक)
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	है (संतोषजनक किन्तु कम्प्यूटर प्रयोगशाला वातानुकूलित नहीं है)
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	30 (तीस) कम्प्यूटर है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	एप्लीकेशन कम्प्यूटर विषय के 03 (तीन) शिक्षक वि. वि. परिनियम 28 के तहत नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

[signature] [signature] 7/11/15

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता	7(i). – 7(vi)	वि.वि. परिनियम 28 के तहत ग्रन्थपाल नियुक्त नहीं है। महाविद्यालय में पुस्तकें हैं। किन्तु प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अपर्याप्त है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें छात्र अनुपात में क्रय किया जाना आवश्यक है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	किन्तु क्र.-09 में उल्लेखित है।
12.	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?		पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई कमियाँ एवं सुझावों को पूर्ण नहीं किया गया
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		वि.वि. परिनियम ~~[illegible]~~ 28 के तहत प्राचार्य नियुक्त नहीं है।
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		(i) वि.वि. परिनयम 28 के तहत प्राचार्य, ग्रन्थपाल एवं कम्प्यूटर विषय के 03 [illegible] शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है। (ii) प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए 20 (बीस) नग नवीनतम configuration के कम्प्यूटर

क्रय किया जाना आवश्यक है।

(iii) प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है।

(iv) कम्प्यूटर प्रयोगशाला को वातानुकूलित करते हुए सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।

(v) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें अनुपात में क्रय किया जाना आवश्यक है।

(vi) वि.वि. नियमानुसार अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

2.

3.

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

30.9.2021

(डॉ. विनोद कुमार पटेल)

30/09/2021

(डॉ. सुरेन्द्र पटेल)